N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0212 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 19/08/2025 14:37 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)		Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988		13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988		13(2)
3	भा दं सं 1860		467
4	भा दं सं 1860		468
5	भा दं सं 1860		471
6	भा दं सं 1860		120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 27/04/2011 Date To (दिनांक तक): 08/08/2018

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:30 बजे Time To (समय तक): 10:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/08/2025 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 19/08/2025 14:37:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 01 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): NAGAR PARISHAD KSHTR, JAISALMER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S
(थाना का नाम):
District(State)
(जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
(a) **Name(नाम):** NARPATCHAND
(b) **Father's Name (पिता का नाम):** TARACHAND

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
(e) **UID No(यूआईडी सं.):**
(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**
(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	153, KHSARA NO.28,SUNDRASINGH BHANDARINAGAR, VASNI MALIYAN, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	153, KHSARA NO.28,SUNDRASINGH BHANDARINAGAR, VASNI MALIYAN, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJKUMAR SINGHAL		पिता:RAMNIRAJAN LAL	1. 36-K-8,JYOTI NAGAR HOUSING BOARD,LALKOTHI,JAIPUR,JAIPUR CITY
2	ASHOK TANWAR		पिता:PURSHOTAMDAS TANWAR	1. CHHDIDAR PADA,JAISALMER,RAJASTHAN
3	SAJAN KHAN		पिता:UMMED ALI	1. DIBBA PADA,JAISALMER,RAJASTHAN

4	MADAN MOHAN SEVG		पिता:SAGATMAL SEVG	1. JAYNARAYAN VYAS COLONY,JAISALMER,RAJASTHAN,INDIA
5	JAAN MOHAMMD		पिता:GULAM MOHAMMD	1. DEDANSAR ROAD GEETA AASHRAM,KACHCHI BASTI,JAISALMER,RAJASTHAN
6	GYANCHAND		पिता:SHANKAR LAL	1. PATAWA HAWELI,JAISALMER,RAJASTH
7	MOHANIDEVI		पत्नी:GYANCHAND KELA	1. PATAWA HAWELI,JAISALMER,RAJASTH
8	GIRIRAJ		पिता:GYANCHAND KELA	1. PATAWA HAWELI,JAISALMER,RAJASTH
9	NEELAM		पत्नी:GIRIRAJ KELA	1. PATAWA HAWELI,JAISALMER,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,00,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 10,00,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन हैं कि कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के आदेश् क्रमांकः भ्रनिब्यूरो/परि/2018/ 13318-19 दिनांक 08.08.2018 के द्वारा परिवाद संख्या 337/2018 विरूद्ध श्री रामकिशोर माहेश्वरी तत्का0 आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर एवं अन्य के दर्ज होकर सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में दिनांक 14.08.2018 को प्राप्त हुआ। उक्त परिवाद का सत्यापन भ्रनिब्यूरो जैसलमेर पर किया गया। सत्यापन के दौरान प्रकरण में वांछित रिकार्ड की फोटो प्रतियां प्राप्त की गई। प्रकरण में आरोपी लाभार्थीगण साजन खां, मदनमोहन सेवक, मुकन्दर अली, सलीम खां पुत्र स्व0 जान मोहम्मद, दिलीप खां, बाशिद अली का अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। परिवादी श्री बजरंग सिंह निवासी इन्द्रा कालोनी के बारे में मालूमात की गई तो इन्द्रा कालोनी जैसलमेर में इस नाम का कोई व्यक्ति निवास करना नही पाया गया है। स्पष्ट पते के अभाव में परिवादी श्री बजरंग सिंह से सम्पर्क नही हो पाया। परिवादी ने इस परिवाद में अंकित किया कि जिला कलेक्टर जैसलमेंर के आदेशों की पालना नही करते हुए एवं कानून नियमों की धजियां उडाते हुए अपराधी निर्भय घूम रहे है। सरकारी जमीन कि विधि विरूद् कोडियों के भाव खरीद फरोख्त की गयी है। जिला कलेक्टर के आदेश पर जांच रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश विश्नोई आर0ए0एस जैसलमेंर ने जिला कलेक्टर को पेश की। उक्त जांच में क्रय कर्ता एवं विक्रय कर्ता दोंनो दोषी पाये गये है। जांचकर्ता ने अपनी जांच में उल्लेख किया की नगर परिषद जैसलमेंर की उक्त बेशकीमती भूमी हडपने के लिये खरीददारों एवं बेचानकर्ताओं ने जो फर्जी दस्तावेज, झूठे शपथ पत्र एवं घोषणा पेश की है, उसी आधार पर दस्तावेज पंजीयन करवाये गये है। उनके द्वारा निस्पादित दस्तावेज निरस्त योग्य है तो इन्ही दस्तावेजो के आधार पर जितने भी दस्तावेज निष्पादित किये गये है, वे भी अवैध एवं निरस्त योग्य है। जांच रिपोर्ट में विधि कानून नियमों के विपरीत कार्य कर राजस्व की हानि व विधि विरूद्व कार्य होने का उल्लेख किया गया है। खसरा नम्बर 518 की 40,000 वर्ग फूट भूमि जो निर्विवाद रूप से परिषद की भूमि है के संबन्ध में निस्पादित करवायें गये, विक्रय पत्रों के

निरस्तीकरण की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करवाने और गैर कानूनी तरीके से विक्रय करने एवं केता द्वारा गलत व फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं झूठे शपथ पत्र आदि के आधार पर पंजीयन करवाने वालों के विरूद्व पुलिस में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्यवाही करवाने के आदेश जिला कलेक्टर द्वारा दिये गये थे। जिसमें प्राथमिकी दर्ज करवाने के बाद अनुसंधान अधिकारी ने एफ0आर0 लगा दी। कलेक्टर ने आयुक्त नगर परिषद जैसलमेंर को एक आदेश पंत्राक/राजस्व/2013/दिनांक 30.01.2014 को दिया, जिसके अनुसार जिला कलेक्टर ने आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेंर को एयरफोर्स रोड पर राणीसर कच्ची बस्ती के पास खसरा नम्बर 518 में स्थित 64 बीघा 8 बिस्वा भूमि के अवैध विक्रय की आशंका व्यक्त की, इसलिये मौके पर उक्त खसरा नं0 518 पर भूमि डिमार्केशन किया जाकर उक्त पक्के पिल्लर व नगर परिषद का बोर्ड लगाने, उक्त खसरा नम्बर की भूमि के विक्रय हस्तान्तरण उपयोग करने के संबन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया जावे। उक्त पत्र की प्रतिलिपी उप पंजियक, जैसलमेर कार्यालय को भी जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई जिसमें स्पष्ट निर्देश दिये गये कि खसरा नम्बर 518 में स्थित भूमि रकबा 64 बीघा 8 बिस्वा भूमि के विक्रय हस्तान्तरण करने के संबन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं किया जावें उल्लेंखित है। साजन खां, मुकन्दर अल्ली, मदनमोहन सेवग, दिल्लीप खां, वशीद अल्ली के भूमी नियमन की पत्रावलियों में लगभग एक समान टिप्पणी एवं तारिखे दर्ज है सब नियमन पत्रावलियों के पेरा 06,07,08 में आयुक्त द्वारा विस्तृत टिप्पणी जिसमें उक्त खसरे में एफआईआर दर्ज होने, उक्त सम्पति का नगर परिषद का होने व नियमन योग्य उचित नहीं है अतः नियमन नहीं किया जावे, का उल्लेख आदि का आदेश है। आवेदकों के भूमि नियमन को आयुक्त के निरस्त करने के आदेश के बाद भी आयुक्त की सील पर पेरा 11 में सहायक अभियन्ता एवं तत्का0 सभापति द्वारा कानून विरूद्व नियमन किया गया। उक्त प्रकरणों में सहायक अभियन्ता को मात्र सभापति के आदेश से कार्यवाहक आयुक्त का चार्ज दिया गया था जिसमें उनको वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। क्योंकि निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांकः-का/135/कार्मिक/आवि ऋण/ आर एम एस/डीएलबी दिनांक 09.05.2002 के अनुसार "किसी भी आहरण एवं वितरण अधिकारी का स्थानान्तरण होने एवं उसके स्थान पर नवीन आहरण एवं वितरण अधिकारी संभालेगा तो उसके हस्ताक्षरों का सत्यापन क्षैत्रीय उप निदेशक से करवाये जाने के उपरान्त ही आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षरों को संबन्धित बैक/कोषाधिकारी द्वारा मान्यता दी जावेगी। इन आदेशो की पालना क्षैत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करवायेंगें एवं विपरित कार्य करने वाले अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगें/ प्रस्तावित करेगें" जबकि राजकुमार सिंघल को उपरोक्त प्रक्रिया अपना कर आयुक्त का पदभार नहीं दिया गया था। उपर उल्लेखित नियमन प्रक्रिया में सभापति एवं सहायक अभियन्ता के ही हस्ताक्षर हुये है। राजकुमार सिंघल आयुक्त एवं सहायक अभियन्ता दोनों पदो की हैसियत से हस्ताक्षर कर रहे है जो विधि विरूद्व है, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही पत्रावली में एक ही जगह दो अलग अलग हैसियत से हस्ताक्षर नहीं कर सकता। जबकि नगर परिषद में एक अन्य सहायक अभियन्ता कार्यरत थे। तत्कालीन सभापति द्वारा सहायक अभियन्ता राजकुमार सिघल को आयुक्त का कार्यभार मात्र कार्यवाहक हेतु दिया गया, इस कार्यालय आदेश में राज्य सरकार के वर्ष 2002 के परिपत्र के आदेशो-निर्देशो की पालना नही की गई। इन कारणो से उनके द्वारा किये गये भूमि नियमन की कार्यवाही गैर कानूनी व अवैध है। आयुक्त ने पत्रावली को नियमन योग्य न मानकर निरस्त कर दी तो पुनः उस आदेश को बदलने का अधिकार उन्हे नही था। सरकार के परिपत्र क्रमांकः प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 17.10.2012 के पैरा सं0 4(क) के तहत एम्पावर्ड कमेटी का गठन नगर परिषद में सभापति, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, निकाय में कार्यरत वरिष्ठतम अभियंता, वरिष्ठ/उप/सहायक/नगर नियोजक, ये चार व्यक्ति एम्परवर्ड कमेटी के सदस्य होंगे तथा बहुमत से निर्णय होगा। पत्रावलियों में उल्लेखित है कि सर्वसहमति से निर्णय लिया गया जबकि इसमें आयुक्त व टाउन प्लान एम्पावर्ड कमेटी के दो सदस्य के इस नियमन की कार्यवाही में हस्ताक्षर नही किये गये। सहायक अभियंता अपने हस्ताक्षर सहायक अभियंता व आयुक्त दोनो की हैसियत से किये है। सत्यापन के दौरान प्राप्त रिकार्ड के अध्ययन से पाया गया कि- 1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 4142 दिनांक 21.12.1989 के द्वारा खसरा नंबर 518 रकबा 77.02 बीघा भूमि को गैर मुमकीन ओरण से गैर मुमकीन आबादी में आरक्षित करने के आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश की पालना में खसरा नंबर 518 रकबा 64.48 बीघा भूमि का दिनांक 12.10.1990 को ज्ञापित क्षैत्र समिति जैसलमेर के प्रतिनिधि श्री जयसिंह परिहार कनिष्ठ अभियंता द्वारा पटवारी जैसलमेर से कब्जा प्राप्त किया गया तथा शेष 12.57 बीघा भूमि डाक विभाग एवं एयरफोर्स जैसलमेर को दी गई थी। 2. खसरा नंबर 518 रकबा 77.02 बीघा भूमि आबादी में आरक्षित होने से पूर्व "गैर मुमकीन ओरण" थी, जिसमें से 64.48 बीघा भूमि दिनांक 21.12.1989 को आबादी में आरक्षित कर कब्जा ज्ञापित क्षैत्र समिति जैसलमेर को सौंपने के बाद यह भूमि नगरपालिका/ नगर परिषद जैसलमेर की सम्पति है। जिस पर "यह भूमि नगर परिषद की सम्पति है" का बोर्ड लगा हुआ पाया गया। 3. सहायक कलक्टर की जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 के पश्चात नगर परिषद की ज्ञापित क्षैत्र समिति जैसलमेर को हस्तान्तरित भूमि में बिना नगर पालिका या ज्ञापित क्षैत्र समिति की अनापत्ति प्रमाण पत्र के कोई अधिकार उत्पन्न/प्राप्त नही हो सकते थे। 4. नगर परिषद जैसलमेर से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार तत्समय नगरपालिका या ज्ञापित क्षैत्र समिति जैसलमेर द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया। 5. ज्ञापित क्षैत्र समिति जैसलमेर द्वारा खसरा नंबर 518 रकबा 64.48 बीघा भूमि का कब्जा प्राप्त करते समय

उक्त भूमि पर किसी का भी कब्जा/ अतिक्रमण होने संबंधी कोई साक्ष्य नही पाये गये है। परन्तु उक्त भूमि साजन खां पुत्र उम्मेद अली तथा मदन मोहन सेवग पुत्र श्री सगत मल सेवक को जैसलमेर के महाराजा से बक्शीस में प्राप्त होना बताकर उस पर उसके वारिसान का पुश्तैनी कब्जा होना तथा फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर स्वयं की भूमि होना मानकर अन्य व्यक्तियों को बेचान कर देना पाया गया। कब्जा प्राप्त करते समय दिनांक 12.10.1990 को नगर पालिका द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा होने का कोई अंकन अपनी रिपोर्ट में नही किया गया है। यदि मौके पर लाभार्थीगण श्री साजन खां एवं श्री मदनमोहन सेवग का अथवा उनके पूर्वजो का कोई कब्जा होता तो उसका अंकन नगर पालिका द्वारा अपनी कब्जा रिपोर्ट मे अवश्य किया जाता। 6. खसरा नंबर 518 की उक्त भूमि/भूखण्डो पर अपना पुराना कब्जा बताकर नगरपालिका के तत्कालीन सहायक अभियंता श्री राजकुमार सिंघल जो कि कुछ समय के लिए कार्यवाहक आयुक्त भी रहे है से मिलीभगत कर प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012 के तहत पत्रावलियों में श्री राजकुमार सिंघल सहायक अभियंता एवं कार्यवाहक आयुक्त द्वारा बक्शीस नामो का हवाला देते हुए नियमन के पक्ष में सकारात्मक टिप्पणी कर नियमन करने की अनुशंषा की गई । जिस पर नगर परिषद की प्रक्रिया के अनुसार नियमन कर आदेश जारी किये गये है जो पूर्णतया नियम विरूद्ध है। 7. प्रकरण में लाभार्थी श्री साजन खां की पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि साजन खां द्वारा नगरपालिका द्वारा कब्जा शुदा भूमि पर से जबरन बेदखल करने की कार्यवाही के विरूद्ध वर्ष 1997 में एक निगरानी मुकदमा सं0 12/97 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में दायर किया गया जो कि कब्जा संबंधी दस्तावेजो के अभाव में दिनांक 17.08.2002 को खारिज किया गया। नियमन पत्रावली में उपलब्ध आवेदन पत्र में साजन खां का मात्र नाम व पता ही लिखा हुआ है शेष खाली है। आवेदन में मौहल्ले के दो प्रमुख व्यक्तियों द्वारा भी प्रमाणीकरण नही किया गया है तथा उपलब्ध एन0ओ0सी0 पर जारी करने वाले कार्यालय का नाम, पत्र क्रमांक व दिनांक भी अंकित नही है जिससे स्पष्ट है कि एनओसी फर्जी है। पत्रावली में महारावल श्री जवाहरसिंह जी द्वारा तारीख 25.08.1943 को जारी बक्शीस नामा तो लगा हुआ परन्तु आवेदन पत्र के संलग्न किये जाने का कोई उल्लेख पत्रावली में नही है जो कि बाद में फर्जी रूप से तैयार कर लगाना प्रतीत होता है। क्योंकि बक्शीस नामे का उल्लेख न तो आवेदन पत्र में किया गया और ना हीं निगरानी मु0सं0 12/97 में किया गया है। 8. लाभार्थी श्री मदन मोहन सेवग की पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि फर्जी दस्तावेजो के आधार किये गये बेचान के संबंध में पुलिसथाना जैसलमेर में एक मुकदमा सं0 327 दिनांक 26.08.2012 को तत्कालीन आयुक्त श्री रामकिशोर माहेश्वरी द्वारा दर्ज करवाया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान नतीजा दिनांक 27.12.2013 को दिया गया था। परन्तु उक्त मुकदमे के अनुसंधान के दौरान ही तत्कालीन सहायक अभियंता श्री राजकुमार सिंघल द्वारा दिनांक 28.01.2013 को उक्त विवादित भूखण्ड के नियमन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। पैरा सं0 5 में श्री राजकुमार सिंघल सहायक अभियंता द्वारा बक्शीसनामे का उल्लेख दिनांक 20.12.2012 को करना एवं नियमन को उचित मानने की टिप्पणी अंकित की गई, जिसे पैरा सं0 6 में तत्का0 आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया था। फिर भी पैरा सं0 7 में प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012 के तहत पत्रावली दिनांक 20.12.2012 को एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखी गई। एम्पवार्ड कमेटी में से मात्र सहायक अभियंता श्री राजकुमार सिंघल ने ही हस्ताक्षर किये। पत्रावली में तत्कालीन आयुक्त श्री रामकिशोर माहेश्वरी द्वारा बार-बार नियमन निरस्त करने की टिप्पणी अंकित किये जाने के बावजूद भी सहायक अभियंता श्री सिंघल जो कि कुछ समय के लिए कार्यवाहक आयुक्त भी रहे थे के द्वारा नियमन बाबत सकारात्मक टिप्पणी करते हुए दिनांक 28.01.2013 को पत्रावली एम्पवार्ड कमेटी में पुनः रखी, जिसमें आयुक्त तथा सहायक अभियंता दोने० की सीलमोहर पर श्री राजकुमार सिंघल ने अपने हस्ताक्षर किये। इस प्रकार श्री सिंघल द्वारा बार-बार नियमन के पक्ष मे टिप्पणी कर एम्पावर्ड कमेटी में रखना व कार्यवाहक आयुक्त बनने पर सहायक अभियंता व आयुक्त की हैसियत से अपने हस्ताक्षर करना, तत्कालीन आयुक्त श्री रामकिशोर माहेश्वरी की टिप्पणियों की जानबूझ कर अनदेखी करना इत्यादि कृत्य स्पष्ट रूप से मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग करने को प्रमाणित करता है। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध बक्शीस नामा के अवलोकन से पाया गया कि उक्त बक्शीसनामा दिनांक 31.03.1942 को किस महाराजा द्वारा जारी किया गया है उसका कोई उल्लेख/अंकन बक्शीसनामा में नही किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया संदिग्ध एवं फर्जी प्रतीत होता है। लाभार्थीगण श्री साजन खां एवं श्री मदनमोहन सेवग की नियमन पत्रावलियों में उपलब्ध बक्शीसनामो को देखने से पाया गया कि उक्त दोनो बक्शीसनामा एक दूसरे पूर्णतया भिन्न है। क्योंकि एक महारावल श्री जवाहरसिंह जी का फोटो तथा नाम अंकित है परन्तु दूसरे में न तो महारावल का फोटो है और ना हीं उनका नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में दोनो बक्शीसनामो की सत्यता की जांच किया जाना अनिवार्य है। क्योंकि उक्त बक्शीसनामो के आधार पर एवं नगरपालिका की फर्जी एन.ओ.सी. के आधार पर लाभार्थीगण ने खसरा नंबर 518 रकबा 64.48 बीघा भूमि पर अपना पुश्तैनी कब्जा बताकर नियमन करवाया तथा बाद में अन्य को जरिये रजिस्ट्री बेचान करना पाया गया है। 10. उक्त खसरा नंबर 518 रकबा 64.18 बीघा भूमि के संबंध मे रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार जैसलमेर के अपने प्रत्युत्तर पत्रांक 4069 दिनांक 04.08.2020 में अंकित किया है कि उक्त खसरा 518 गैर मुमकीन आबादी खाता सं0 415 खातेदार नगर पालिका जैसलमेर के नाम दर्ज है। तत्समय उक्त खसरे पर किसी प्रकार के कब्जे का कोई दस्तावेज राजस्व अभिलेख में या अन्य प्रकार से उपलब्ध नही है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में लाभार्थीगण श्री साजन खां एवं श्री मदन मोहन सेवग ने अपने पूर्वजो का कब्जा होने संबंधी दावा गलत किया है। उक्त भूमि पर उनका या उनके पूर्वजो का

कब्जा नही था। इस बेशकीमती जमीन को हड़पने की नियत से नगरपालिका जैसलमेर के कर्मचारियों से मिलीभगत कर फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार कर गलत रूप से नियमन करवाया है, जो कि स्पष्टतः पद का दुरूपयोग है। उपलब्ध रिकार्ड एवं अब तक के सत्यापन से इस परिवाद में उपरोक्त वर्णन अनुसार लाभार्थीगण श्री साजन खां एवं श्री मदनमोहन सेवग द्वारा श्री राजकुमार सिंघल सहायक अभियंता एवं कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर एवं अन्य से मिलीभगत कर फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर व फर्जी बक्शीसनामो के आधार पर एवं नगरपालिका की फर्जी एन.ओ.सी. के आधार पर खसरा नंबर 518 रकबा 64.48 बीघा भूमि पर अपने पूर्वजो का पुराना कब्जा बताकर गलत रूप से नियमन करवाना तथा बाद में अन्य को जरिये रजिस्ट्री बेचान करना पाया गया है। जबकि नगरपालिका जैसलमेर द्वारा कब्जा लेते समय उक्त भूमि पर किसी कब्जा होने के कोई साक्ष्य नही थे। इस तरह उपरोक्त वर्णित आरोपियों ने मिलिभगत कर जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 420, 467, 468, 471, व 120 बी भादस का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। अतः इस प्रकरण में (1) श्री राजकुमार सिंघल तत्कालीन सहायक अभियंता एवं कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर (2) श्री अशोक सिंह तंवर पुत्र श्री पुरूषोतमदास तंवर निवासी छडिदार पाड़ा जैसलमेर तत्का0 सभापति नगर परिषद जैसलमेर (3) श्री साजन खान पुत्र श्री उम्मेद अली निवासी ढिब्बा पाड़ा जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति) (4) श्री मदन मोहन सेवग पुत्र श्री सगतमल सेवग, निवासी जयनारायण व्यास कालोनी जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति), (5) श्री जान मोहम्मद पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डेडानसर रोड़ गीता आश्रम कच्ची बस्ती जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति),(6) श्री ज्ञानचन्द पुत्र श्री शंकरलाल जाति केला निवासी पटवा हवेली जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति), (7) श्रीमति मोहनीदेवी पत्नि श्री ज्ञानचन्द केला निवासी पटवा हवेली जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति), (8) श्री गिरिराज पुत्र ज्ञानचन्द केला निवासी पटवा हवेली जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति), (9) श्रीमति नीलम पत्नि गिरिराज केला निवासी पटवा हवेली जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति) व अन्य द्वारा मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर, नगर परिषद की भूमि पर अपने पूर्वजो का पुराना कब्जा दर्शाकर नियम विरूद्ध नियमन करवाना एवं नियमन के पश्चात अन्य व्यक्तियों को बेचान करना आदि आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित प्रतीत पाये जाते है। अतः उपरोक्त का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 467, 468, 471, व 120 बी भादस का कारित किया पाया जाने से उपरोक्त के विरूद्धं अपराध पंजीबद्ध किये जाने बाबत् बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित हैं। कृपया अपराध पंजीयन कर अनुसंधान के आदेश् प्रदान करने की कृपा करावें। भवदीय (नरपतचन्द) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर।............कार्यवाही पुलिस....................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत चंद,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जैसलमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 467, 468, 471, व 120 बी भादस में आरोपीगण (1) श्री राजकुमार सिंघल तत्कालीन सहायक अभियंता एवं कार्यवाहक आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर (2) श्री अशोक सिंह तंवर पुत्र श्री पुरूषोतमदास तंवर निवासी छडिदार पाड़ा जैसलमेर तत्का0 सभापति नगर परिषद जैसलमेर (3) श्री साजन खान पुत्र श्री उम्मेद अली निवासी ढिब्बा पाड़ा जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति) (4) श्री मदन मोहन सेवग पुत्र श्री सगतमल सेवग, निवासी जयनारायण व्यास कालोनी जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति), (5) श्री जान मोहम्मद पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डेडानसर रोड़ गीता आश्रम कच्ची बस्ती जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति),(6) श्री ज्ञानचन्द पुत्र श्री शंकरलाल जाति केला निवासी पटवा हवेली जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति), (7) श्रीमति मोहनीदेवी पत्नि श्री ज्ञानचन्द केला निवासी पटवा हवेली जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति), (8) श्री गिरिराज पुत्र ज्ञानचन्द केला निवासी पटवा हवेली जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति), (9) श्रीमति नीलम पत्नि गिरिराज केला निवासी पटवा हवेली जैसलमेर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 377 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 1206-11 दिनांक 19.08.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर, 2. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान, जयपुर। 4उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर। 6-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परिवाद संख्या 337/2018) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDER KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 1[illegible]8/2025 [illegible]2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):